संख्या-5/2021/ए-1- 209 /दस-2021-3/1(6)/65

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 23 मार्च, 2021

विषय - उत्तर प्रदेश शासन के विरूद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा का कार्य महालेखाकार से हटाया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-2923/दस-3/1(6)65, दिनांक 18 सितम्बर, 1985, शासनादेश संख्या- ए-1-3959/दस-3/1(6)65, दिनांक 23 जनवरी, 1986, शासनादेश संख्या- ए-1-873/दस-88-3/1(6)65, दिनांक 8 अगस्त, 1988, एवं शासनादेश संख्या-ए-1-1162/दस-98 3/1(6)65, दिनांक 29 जुलाई, 1998, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-ए-1-2923/दस-3/1(6)65, दिनांक 18 सितम्बर, 1985, में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कालातीत यात्रा भत्ता दावों की पूर्व सम्परीक्षा की स्वीकृति के लिए प्रशा0विभाग स्वयं सक्षम होगें किन्तु इसके उपरान्त भी प्रशा0विभाग द्वारा प्राय: कालातीत यात्रा भत्ता दावों की पूर्व सम्परीक्षा की स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियां परामर्श हेतु वित्त विभाग को संदर्भित की जा रही है, जिसके कारण प्रश्नगत प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कालातीत अवशेष दावों की पूर्व सम्परीक्षा से सम्बन्धित प्रकरणों का अपने स्तर पर परीक्षण कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि किसी बिन्दु पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक ही हो, तो उस बिन्दु विशेष का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को सन्दर्भित की जाय।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 5 / 2021/ ए-1- 209 (1) /दस-2021-3/1(6)/65 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- निदेशक ,कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in